



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0 पिथौरागढ़।

प्रत्य
2-11-2017
✓

फोन / फ़ैक्स नं० 05964-226685

ई-मेल:- eepmgsypithoragarh1@rediffmail.com

पत्रांक 855 / 03 पी0एम0जी0एस0वाई0

दि० 25-10-2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत डीडीहाट (देवीछौना) से जमतड़ी मोटर मार्ग हेतु 8.112 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 681/FP/UK/ROAD/9897/2015 दि० 30-10-2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। विधिवत् स्वीकृति हेतु अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या बिन्दुवार निम्नलिखित है-

शर्त संख्या 1- के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रखरखाव हेतु ₹ 3736557.00 मात्र की धनराशि वनविभाग के पक्ष में जमा करा दी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम-पमस्यारी, पट्टी-दैवीछौना, तहसील-डीडीहाट, जिला-पिथौरागढ़ की सिविल एवं सोयम वनभूमि जिसका क्षेत्रफल 8.112 हे० वनविभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित कर दिया गया है। जिसकी स्वतन्त्रता की प्राप्ति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

शर्त संख्या 2- के अनुपालन में ₹ 5675498.00 मात्र एन०पी०वी० की धनराशि जमा कर दी गयी है।

शर्त संख्या 3- के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र पूर्व में प्रेषित कर दिया गया है।

शर्त संख्या 4- के अनुपालन में देय धनराशियों को आर०टी०जी०एस० के माध्यम से कारपोरेशन बैंक, शाखा नई दिल्ली में यू०आर०आर०डी०ए० द्वारा जमा करा दिया गया है।

शर्त संख्या 5- के अनुपालन में भू-वैज्ञानिकों के सुझावों का अनुपालन किया गया है।

शर्त संख्या 6- के अनुपालन में सभी आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र ऑनलाईन व हार्ड कॉपी पूर्व में उपलब्ध करा दिये गये हैं।

शर्त संख्या 7- के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र, ऑनलाईन व हार्ड कॉपी में पूर्व में उपलब्ध करा दिये गये हैं।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०,
पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि :- सहायक अभियन्ता तृतीय, सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०,
पिथौरागढ़।